मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

# //आदेश//

भोपाल दिनांक02 ~~जनवरी~~ 02 2019

कमांक 428 /198/2019/1/59 :: डॉ.परमानंद कोरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर का स्थानान्तर प्रशासकीय आधार पर विभागीय आदेश कमांक एफ 02–03/2018/1/59, दिनांक 03.10.2018 के सरल कमांक–10 द्वारा एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह–आयुर्वेद औषधालय उमरधा जिला होशंगाबाद किया गया।

2/– डॉ.परमानंद कोरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका कमांक 28850/18 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.18 पारित कर निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:–

In view of such facts, this Court is of the opinion that no ground is made out to show indulgence in the transfer at this level. However, petitioner will be at liberty to purue his representation as contained in Annexure P/7 with the authorities of the Government, who may decide the same in terms of the stipulations given in the transfer policy. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the marits of the case.

3/– याचिका कमांक 28850/18 डॉ.परमानंद कोरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर में पारित न्यायालय निर्णय दिनांक 27.12.18 अनुसार प्राप्त पूर्व अभ्यावेदन दिनांक 11.12.18 एवं 14.01.18 में किये गये उल्लेख अनुसार स्थिति निम्नानुसार है:–

3.1 डॉ0परमानंद कोरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का प्रशनाधीन स्थानान्तर मंत्रि–परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के तारतम्य मं विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.10.2018 के अनुकम में किया गया है।

3.2 जैसा कि स्पष्ट है कि डॉ.परमानंद कोरी का स्थानान्तरण राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन किया गया है। डॉ.परमानंद कोरी राज्य स्तरीय सवंर्ग में शासकीय सेवा में है और वे इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं कि शासकीय सेवा में उनका स्थानान्तरण मध्यप्रदेश में कहीं भी किया जा सकता है।

4– डॉ0परमानंद कोरी, की पदस्थापना एकीकृत सह–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय उमरधा, जिला होशंगाबाद में की गई है। जहां तक डॉ.परमानंद कोरी द्वारा उनकेअभ्यावेदन में वर्णित उनके व्यक्तिगत कारणें यथा स्वास्थ्य सुविधाओं एवं बच्चों की पढाई का प्रश्न है, डॉ.कोरी स्वयं भी एक डॉक्टर हैं एवं बच्चों की पढाई की दृष्टि से उमरधा में भी शालाएं अवश्य होंगी।

05– याचिकाकर्ता का स्थानान्तर विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.10.2018 द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था के तहत किया गया है।

6– उपरोक्त स्थिति में याचिका क्रमांक 28850/18 में पारित मा. उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 27.12.18 के अनुक्रम में डॉ.परमानंद कोरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय मस्तूरा तहसील भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 11. 12.18/14.01.19 पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

7/– अतः राज्य शासन एतदद्वारा याचिका क्रमांक 28850/18 में पारित मा0उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 27.12.18 के अनुक्रम में डॉ.परमानंद कोरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय मस्तूरा तहसील भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 11. 12.18/14.01.19 पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0एस0एस0कुमरे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग
भोपाल, दिनांक 02 ~~जनवरी~~ 02 2019

पृ0क्रमांक 429/126/2019/1/59
प्रतिलिपिः–

1–– आयुक्त, संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश भोपाल।
2– निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग भोपाल।
3– संभागीय आयुष अधिकारी, ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
4– उप संचालक, संचालनालय आयुष की ओर आदेश विभागीय बेवसाइड पर प्रदशित करने हेतु।
5– जिला आयुष अधिकारी, जिला ग्वालियर। कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील अनिवार्य रूप से तामील कराने एवं डॉ.कोरी को तत्काल कार्यमुक्त कराने हेतु।
6– जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर।
7– डॉ.परमानंद कोरी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय मस्तूरा तहसील भितरवार जिला ग्वालियर।
8– आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग